



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30042020-219249
CG-DL-E-30042020-219249

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1255]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 30, 2020/वैशाख 10, 1942

No. 1255]

NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 30, 2020/VAISAKHA 10, 1942

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(रसायन और पेट्रोरसायन विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 23 अप्रैल 2020

का.आ. 1403(अ).—केंद्रीय सरकार की भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 16 की उपधारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के पश्चात, यह राय है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, निम्नलिखित आदेश करती है अर्थात:

1. संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना- (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम पैकेजिंग या फिलिंग के लिए कपड़ा उच्च घनत्व वाले पॉलीथीन और पॉलीप्रोपाइलीन से बुने हुए बोरे (क्वालिटी नियंत्रण) आदेश 2020 है।

(2) यह आदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से एक सौ अस्सी दिन के अवसान के पश्चात प्रवृत्त होगा।

(3) यह सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट मालों या वस्तुओं पर लागू होगा, किन्तु निर्यात के लिए मालों या वस्तुओं पर लागू नहीं होगा।

2. मानक के साथ अनुरूपता और मानक चिह्न का अनिवार्य उपयोग- उक्त तालिका के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट माल या वस्तुएं सारणी के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट भारतीय मानक के अनुरूप होंगे और भारतीय मानक ब्यूरो (अनुरूपता निर्धारण) विनियम, 2018 की अनुसूची- II की सूकीम- I के अनुसार ब्यूरो से एक अनुज्ञप्ति के अधीन मानक चिह्नधारण करेंगे।

3. प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकरण- उक्त सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट मालों या वस्तुओं के संबंध में, ब्यूरो प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकारी होगा।

4. उल्लंघन के लिए शास्ति- कोई व्यक्ति जो इस आदेश के उपबंधों का उल्लंघन करता है, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 के उपबंधों के अधीन दंडनीय होगा।

सारणी

क्र.सं.	माल या वस्तु	भारतीय मानक	भारत मानक के लिए शीर्षक
(1)	(2)	(3)	(4)
1	50 किलोग्राम खाद्यान्न की पैकेजिंग के लिए कपड़ा- उच्च घनत्व की पॉलीएथिलीन (एचडीपीई)/पॉलीप्रोपाइलीन (पीपी) के बुने हुए बोरे	आईएस 14887:2014	50 किलोग्राम खाद्यान्न की पैकेजिंग के लिए कपड़ा- उच्च घनत्व की पॉलीएथिलीन (एचडीपीई)/पॉलीप्रोपाइलीन (पीपी) के बुने हुए बोरे
2	10 किलोग्राम, 15 किलोग्राम, 20 किलोग्राम, 25 किलोग्राम, और 30 किलोग्राम खाद्यान्न की पैकेजिंग के लिए कपड़ा- उच्च घनत्व की पॉलीएथिलीन (एचडीपीई)/पॉलीप्रोपाइलीन (पीपी) के बुने हुए बोरे	आईएस 16208:2015	10 किलोग्राम, 15 किलोग्राम, 20 किलोग्राम, 25 किलोग्राम, और 30 किलोग्राम खाद्यान्न की पैकेजिंग के लिए कपड़ा- उच्च घनत्व की पॉलीएथिलीन (एचडीपीई)/पॉलीप्रोपाइलीन (पीपी) के बुने हुए बोरे
3	50 किलोग्राम/25 किलोग्राम चीनी की पैकेजिंग के लिए कपड़ा- उच्च घनत्व की पॉलीएथिलीन (एचडीपीई)/पॉलीप्रोपाइलीन (पीपी) के बुने हुए बोरे	आईएस 14968:2015	50 किलोग्राम/25 किलोग्राम चीनी की पैकेजिंग के लिए कपड़ा- उच्च घनत्व की पॉलीएथिलीन (एचडीपीई)/पॉलीप्रोपाइलीन (पीपी) के बुने हुए बोरे
4	रेत भरने के लिए कपड़ा- उच्च घनत्व की पॉलीएथिलीन (एचडीपीई)/पॉलीप्रोपाइलीन (पीपी) के बुने हुए बोरे	आईएस 14252:2015	रेत भरने के लिए कपड़ा- उच्च घनत्व की पॉलीएथिलीन (एचडीपीई)/पॉलीप्रोपाइलीन (पीपी) के बुने हुए बोरे

[फा. सं. 25014/9/2019-टेक.सीपीसी]

काशी नाथ झा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS

(Department of Chemicals and Petrochemicals)

ORDER

New Delhi, the 23rd April, 2020

S.O. 1403(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government, after consulting the Bureau of Indian standards, is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, hereby makes the following Order, namely:—

1. **Short title, commencement and application.** — (1) This Order may be called the Textiles-High Density Polyethylene and Polypropylene woven sacks for packaging or filling (quality control) Order, 2020.

(2) This Order shall come into force on the expiry of one hundred eighty days from the date of its publication in the Official Gazette.

(3) It shall apply to goods or articles specified in column (2) of the Table, but nothing herein shall apply to such goods or articles meant for export.

2. **Conformity to standard and compulsory use of standard mark.**- Goods or articles specified in the column (2) of the said Table shall conform to the corresponding Indian Standard specified in column (3) of the Table and shall bear the Standard mark under a licence from the Bureau as per Scheme-I of Schedule-II of the Bureau of Indian Standards (Conformity Assessment) Regulations, 2018.
3. **Certification and enforcement authority.**-In respect of the goods or articles specified in column (2) of the said Table, the Bureau shall be the certifying and enforcing authority.
4. **Penalty for contravention.** -Any person who contravenes the provisions of this Order shall be punishable under the provisions of the Bureau of Indian Standards Act, 2016.

TABLE

Sl. No.	Goods or article	Indian Standard	Title for India Standard
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Textiles – High Density Polyethylene (HDPE)/ Polypropylene (PP) Woven Sacks for packaging of 50 kilogram Foodgrains	IS 14887: 2014	Textiles – High Density Polyethylene (HDPE)/ Polypropylene (PP) Woven Sacks for packaging of 50 kilogram Foodgrains - Specification
2	Textiles – High Density Polyethylene (HDPE)/ Polypropylene (PP) Woven Sacks for packaging 10 kilogram, 15 kilogram, 20 kilogram, 25 kilogram, and 30 kilogram Foodgrains	IS 16208:2015	Textiles – High Density Polyethylene (HDPE)/ Polypropylene (PP) Woven Sacks for packaging 10 kilogram., 15 kilogram, 20 kilogram, 25 kilogram, and 30 kilogram Foodgrains - Specification
3	Textiles – High Density Polyethylene (HDPE)/ Polypropylene (PP) Woven Sacks for packaging 50 kilogram /25 kilogram Sugar	IS 14968:2015	Textiles – High Density Polyethylene (HDPE)/ Polypropylene (PP) Woven Sacks for packaging 50 kilogram /25 kilogram Sugar- Specification
4	Textiles – High Density Polyethylene (HDPE)/ Polypropylene (PP) Woven Sacks for filling Sand	IS 14252:2015	Textiles – High Density Polyethylene (HDPE)/ Polypropylene (PP) Woven Sacks for filling Sand- Specification

[F. No. 25014/9/2019-Tech. CPC]

KASHI NATH JHA, Jt. Secy.